शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-R.F.08/नौ–9–2015–69आरएफ/14

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त नगर आयुक्त,
   नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2015

विषय– प्रदेश की नागर निकायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों हेतु''नया सवेरा नगर विकास योजना'' के अन्तर्गत **अनुदान संख्या–83 में** अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्राविधानित बजट से धनाबंटन हेतु कार्य–योजना/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव,कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–1425/क0नि0प्रा0/26–3–2013–13(21)/2013, दिनांक 10 अक्टूबर,2013 तथा शासन के पत्र संख्या–1221/नौ–9–2014–69 आरएफ/14, दिनांक 09 अक्टूबर,2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–83 में प्राविधानित धनराशि **रू0 300.00 करोड़** की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार ऐसे नगरीय क्षेत्र जहॉ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कम से कम 25 प्रतिशत हो, में क्षेत्र आधारित लघु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण सम्बन्धी आवश्यक कार्य योजना नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण प्राप्त किये जाने हेतु अधिशासी अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित **मूल आगणन व निकाय बोर्ड से पारित प्रस्ताव एवं संलग्न प्रमाण पत्र** में वॉछित सूचना के साथ निम्न बिन्दुओं पर सूचना सहित शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि निकायों को धनराशि आवंटित किये जाने पर विचार किया जा सके:–

1– रिवाल्विंग फण्ड से निकाय को अब तक कितनी धनराशि ऋण के रुप में प्राप्त हुई है तथा ऋण से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि की अदायगी निकाय द्वारा की जा चुकी है।

2– राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से ऋण की धनराशि का समायोजन किया जाता है। वर्तमान में निकाय को प्राप्त होने वाली राज्य वित्त आयोग की धनराशि से यदि कटौती की जाती है तो निकाय कर्मियों के वेतन/भत्तों/पेंशन आदि पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।

3– इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायें कि प्रस्तावित कार्य योजना किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

Spgo-2

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

1. वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

प्रमाण पत्र

कार्य का नाम – नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत..... की मलिन बस्ती वार्ड नं0.....मो0..... इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।

1. प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निकाय की बोर्ड की बैठक में अनुमोदित करा लिया गया है।
2. चयनित बस्ती में जिस कार्य का प्रस्ताव दिया गया है, उस कार्य को किसी भी संस्था द्वारा 05 वर्षो में नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान में कराया जाना प्रस्तावित है।
3. चयनित बस्ती की कुल जनसंख्या.....है। जिसमें .....प्रतिशत अनुसूचित जाति समुदाय के लोग निवास करते हैं।
4. प्रश्नगत आबादी अनुदान संख्या–83 से आच्छादित है।

अवर अभियंता

अधिशासी अधिकारी